संख्या- 66/2563/30-3-14-19बी/2013

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 10 सितम्बर, 2014

विषय- सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-हरदोई के पूर्व निर्मित भवन में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु अवशेष द्वितीय किस्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2095ए/2014-16नजारत/2013, दिनॉक 04-09-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-18/219/30-3-14-19बी/2013, दिनॉक 11-02-2014 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा मानकीकृत नक्शा तथा लागत के आधार पर सम्भागीय परिवहन कार्यालय, गोण्डा तथा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, सीतापुर व हरदोई में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु कुल धनराशि रू0 25.83 लाख (रू0 पचीस लाख तिरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि क्रमशः रू0 17.22 लाख (रू0 सत्रह लाख बाइस हजार मात्र) एवं धनराशि रू0 12.915 लाख (रू0 बारह लाख इक्यानवे हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय, गोण्डा तथा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, सीतापुर में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के लिये उक्त शासनादेश द्वारा प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त होने के फलस्वरूप द्वितीय किस्त की धनराशि शासनादेश संख्या-62/2498/30-3-14-19बी/2013, दिनॉक 5-09-2014 द्वारा अवमुक्त कर परिवहन आयुक्त के निवर्तन पर रखी गयी है। तत्क्रम में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र के फलस्वरूप सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरदोई में निर्माणाधीन ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के लिये द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 4.305 लाख (रू0 चार लाख तीस हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
2- परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

5- परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

6- प्रदेश के विभिन्न परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मानकीकृत नक्शा तथा लागत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2056/30-3-13-19बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमश:)-800-अन्य व्यय (क्रमश:)-06-ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-66/2563(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी-हरदोई द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in